

भाग-II

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

राज्य प्रस्ताव सं०-

7. परियोजना /स्कीम का स्थान :

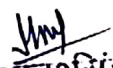
लखनऊ-सुलतानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग सं०-731(पुराना एन.एच-56) के किमी० 64.00 से 112.80 बायीं पटरी तथा अयोध्या-सुलतानपुर-प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-96(330) मार्ग के किमी० 69 से 79.80 तक बायीं पटरी कुल 59.60 किमी० पर रिलायन्स जियो इन्फोकोम लि०, लखनऊ द्वारा भूमिगत ओ०एफ०सी० बिछाये जाने हेतु प्रभावित संरक्षित वन भूमि पर गैर वानिकी कार्य की अनुमति।

- | | | |
|--------|---|---|
| (i) | राज्य/संघ शासित प्रदेश | उत्तर प्रदेश |
| (ii) | जिला | अमेठी |
| (iii) | वन प्रभाग | अमेठी |
| (iv) | वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि क्षेत्र (हेक्टेयर में) | 0.6281 हे० |
| (v) | वन की कानूनी स्थिति | संरक्षित वन |
| (vi) | हरियाली का घनत्व | 0.1 |
| (vii) | प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाय)सिंचाई/जलीय परियोजना के सम्बन्ध में एफ.आर.एल.एफ.आर.एल.-2 मीटर पर परिगणना और एफ.आर.एल.-4 मी० में भी संलग्न किया जाय) | मौके पर प्रस्तावित संरक्षित वन भूमि में कोई वृक्ष बाधक नहीं है। |
| (viii) | भू-क्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी। | यह भू-भाग भू-क्षरण की दृष्टि से संवेदनशील नहीं है। |
| (ix) | क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव, अभ्यारण्य, जीवमंडल रिजर्व, बाघ रिजर्व हाथी कोरिडोर आदि का भाग है (यदि हों तो क्षेत्र का ब्यौरा तथा मुख्य वन्यजीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबंधित की जाय) | नहीं। |
| (x) | क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणि जाति की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पायी जाती हैं यदि हाँ/तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें। | नहीं। |
| (xi) | क्या कोई सुरक्षित पुरातात्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महात्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ, यदि अपेक्षित | नहीं। |


 (एग०एन०सिंह)
 प्रभागीय वनाधिकारी
 वन प्रभाग, अमेठी

हो तो दें।

8. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो जांचे गए विकल्पों के ब्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है। हाँ, प्रस्तावित वन भूमि परियोजना के लिए अपरिहार्य एवं न्यूनतम है।
9. क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य नहीं किया गया है। (हां/नहीं) यदि हां तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही रहित कार्य का ब्यौरा दें क्या उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चल रहे हैं।
10. प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा =
- (i) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अनाधिकृत संलग्न है। वनेत्तर/अवक्रमित वन क्षेत्र आस-पास के वन से इसकी दूरी भूखण्डों की संख्या, प्रत्येक भूखण्ड का आकार।
- (ii) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित संलग्न है। वनेत्तर/अवक्रमित वन क्षेत्र और आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।
- (iii) रोपित की जाने वाली प्रजातियों रहित संलग्न है। प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी समय अनुसूची लागत ढांचा आदि।
- (iv) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल संलग्न है। वित्तीय परिव्यय।
- (v) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र संलग्न है। की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्तान्तरित किया जाए)
11. जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है। विशेषतः उपर्युक्त कालम 7(xi, xii) 8 और 9 में पूछे गए तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)
12. विभाग/जिला प्रोफाइल
- (i) जिले का भौगोलिक क्षेत्र 306300.00 हे०
- (ii) जिले का वन क्षेत्र 2050.188 हे०


(रामप्रसाद सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग, अमेठी

- (iii) मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर 85.505 हे० (12 मामले)
प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र
- (iv) 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल 285.08 हे०
प्रतिपूरक वनीकरण
- (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित —
वन भूमि 258.44 हे०
- (ख) वनेत्तर भूमि पर 26.64 हे० क्षतिपूरक वनीकरण कराया गया
है।

13. प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में
सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के
साथ विशेष सिफारिशें।

यह प्रस्ताव रिलायन्स जियो इन्फोकॉम
लि०, लखनऊ द्वारा लखनऊ-सुलतानपुर
राष्ट्रीय राजमार्ग सं०- 731(पुराना एन.
एच-56) के किमी० 64.00 से 112.80 बायीं
पटरी तथा अयोध्या-सुलतानपुर-
प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-96(330)
मार्ग के किमी० 69 से 79.80 तक बायीं
पटरी कुल 59.60 किमी० पर भूमिगत
ओ०एफ०सी० बिछाये जाने सम्बन्धी कार्य
संरक्षित वन भूमि पर प्रस्तावित है। उक्त
कार्य आवश्यक सेवाओं के अन्तर्गत है।
अतः उक्त प्रभावित संरक्षित वन भूमि को
गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति हेतु संस्तुति
की जाती है।

(एम०एन०सिंह)
प्रभारी वन अधिकारी
अमेठी वन प्रभाग
अमेठी